

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 24 मार्च 2025, समय 1305 (5 मिनट))

आज विश्व तपेदिक दिवस है। तपेदिक के हानिकारक स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तपेदिक दिवस का इस वर्ष का विषय **"हां, हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं - प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास"** है। देश को टी.बी. मुक्त बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाले जिलों में सौ दिन का टी.बी. उन्मूलन अभियान भी चलाया गया है ताकि तपेदिक के छूटे हुए मामलों का पता लगाया जा सके, मृत्यु दर में कमी लाई जा सके और नए मामलों को रोका जा सके।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर लोगों से तपेदिक को खत्म करने और स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने इस बीमारी से निपटने में सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत 100 दिवसीय तपेदिक उन्मूलन अभियान और निक्षय पोषण योजना के तहत तपेदिक रोगियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। श्री नड्डा ने तपेदिक रोगियों को व्यापक सहायता प्रदान करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक मिलकर तपेदिक मुक्त भारत बना सकते हैं और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में काम कर सकते हैं।

हरियाणा में आज तपेदिक दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

जौंद में हमारे संवाददाता ने नागरिक अस्पताल में छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वनीता से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि लक्षण प्रकट होने पर समय रहते अस्पताल आने से रोगी को आसानी से बचाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि अब टीबी का उपचार पहले से काफी आसान हो गया है पूर्व में इसके उपचार के लिए रोगी को टीके भी लगाए जाते थे लेकिन अब आधुनिक तकनीक के चलते मुंह से खाने वाली दवाओं से ही इसका उपचार हो जाता है। रोगी को केवल छ माह ही दवा खानी पड़ती है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- एनआईए ने सितंबर 2024 में चंडीगढ़ बम हमले के मामले में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चार आतंकवादियों को आरोपी बनाया है। अभिकरण ने एक अधिकारिक बयान में कहा कि आरोपियों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिन्दा और अमेरिका स्थित आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पस्सी भी शामिल हैं। आरोप पत्र चंडीगढ़ की एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया है। सभी चार आरोपियों पर, गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम- यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा हमले में सहयोग करने और साजिश रचने की भूमिका से संबंधित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने कहा है कि दो आतंकवादी रिन्दा और हैप्पी पस्सी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हैं।

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपए जारी किए हैं। श्री विज ने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह, शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें। नगर परिषद द्वारा शीघ्र शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। गौरतलब है कि अम्बाला छावनी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा शहीदों एवं वीर सेनानियों के सम्मान में उनकी प्रतिमाएं स्थापित करवाई गई है व स्मारक बनवाए गए हैं।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहा है कि पारंपरिक भारतीय गोली सोडा फिर से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। इसे गोली पॉप सोडा के नए ब्रांड नाम से बाजार में उतारा गया है। उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस लोकप्रिय पेय ने अपने नए कलेवर के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में शानदार वापसी की है। इसने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और खाड़ी देशों के बाजारों में अच्छी पैठ बना ली है। खाड़ी क्षेत्र के सबसे बड़े खुदरा बिक्री केंद्र-- लुलु हाइपरमार्केट में भी इसकी लगातार आपूर्ति की जा रही है।

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए कुल कारोबार और निवेश कसौटी में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। ये संशोधन पहली अप्रैल से प्रभावी होंगे। अब ढाई करोड़ रुपए तक के निवेश वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पहले इनके लिये निवेश सीमा एक करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार कुल कारोबार सीमा भी पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर दस करोड़ रुपए कर दी गई है। 25 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयां लघु उद्यम वर्ग में रखी गई हैं। पहले इनके लिए निवेश सीमा दस करोड़

रुपए थी। इन उद्यमों के लिए कुल कारोबार सीमा 50 करोड़ रुपए से दोगुनी कर एक सौ करोड़ रुपए की गयी है। एक सौ पच्चीस करोड़ रुपए तक के निवेश वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों अब मध्यम उद्यम मानी जाएंगी। पहले इनकी निवेश सीमा पचास करोड़ रुपए थी। मध्यम उद्यमों के लिए कुल कारोबार सीमा दोगुनी कर पांच सौ करोड़ रुपए कर दी गई है।